न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

फौजदारी मुकदमा संख्या 04/2016

सायल	बनाम	गैर सायल
जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर		कमलेश पुत्र मदनलाल जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास ढाणी बाजार बाड़मेर पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर जिला बाड़मेर

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 ख (v) व (viii)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित– 1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर सायल ओर से।
2. श्री राजेन्द्र आचार्य अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय दिनांक 25.7.2017

1. सायल की ओर से दिनांक 30.05..2015 को गैर सायल कमलेश पुत्र मदनलाल जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास ढाणी बाजार बाड़मेर पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर जिला बाड़मेर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 ख (v) व (viii)/3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल आर्ले दर्जे का बदमाश एवं जुआरी है। इसकी अपराधिक गतिविधियॉ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके जुर्म से बाड़मेर शहर की आम जनता परेशान है। गैर सायल सार्वजनिक स्थानो पर ताश के पतो पर रूपये दाव पर लगाकर जुआ खेलता है जिससे एक को लाभ व एक को हानि होने से आस–पास मारपीट एवं झगड़े होते है। इसको न्यायालय द्वारा सजायाब करने के उपरान्त भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बड़ी गम्भीर वारदात कर सकता है, जिससे समाज एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गैर सायल के विरूद्व कुल 03 प्रकरण राजस्थान पब्लिक गेम्बनिंग अधिनियम 1949 में दर्ज होकर, चालान न्यायालय में पेश किये गये जिसमें न्यायालय द्वारा तीनों ही प्रकरणो में दोषी पाया गया एवं सजा हुई है–

1. मुकदमा संख्या 304/05.08.2011 अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग .

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

अधिनियम चालान नंबर 158/19.8.2011 निर्णय दिनांक 24.9.2011 सजा

2. मुकदमा संख्या 74/14.02.2012 अन्तर्गत 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम चालान नंबर 28/22.02.2012 निर्णय दिनांक 22.05.2012 सजा
3. मुकदमा संख्या 61/04.02.2016 अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम चालान नंबर 27/18.02.2016 निर्णय दिनांक 31.03.2016 सजा

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासित किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण पंजीबद्व होकर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया।
3. गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 26.10.2016 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल के विरूद्व पुलिस द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में इस्तगासा पेश किया गया है। गैर सायल के विरूद्व समाज में अशांति फैलाने, झगड़ा या मारपीट करने तथा गवाहों को धमकाने जैसा एक ही प्रकरण किसी भी स्थान पर दर्ज नहीं है तथा न ही गैर सायल द्वारा इस प्रकार के कृत्यो को अंजाम दिया गया। गैर सायल स्वयं अत्यन्त शांतिप्रिय व्यक्ति है, जो किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियो में लिप्त नहीं रहा है। सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे के संबंध में निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। गेर सायल द्वारा पेश प्रकरण राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिये गैर सायल के विरूद्व की जारी रही कार्यवाही निरस्त की जाऐं।
4. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी–अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री बुद्वाराम बिश्नोई तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के बयान करवाऐ गए व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।
5. गैर सायल के वकील द्वारा दिनांक 18.7.2017 को लिखित बहस पेश की। सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क हैं कि गैर सायल अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के तहत दर्ज 03 प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाकर जुर्माने से दण्डित किया गया है। सायल पक्ष के साक्ष्य श्री बुद्वाराम बिश्नोई, तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

ने अपने अभिकथनो में गैर सायल के विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 के तहत 3 प्रकरणों में सजा होकर जुर्माना से दण्डित होना बताया तथा गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) में वर्णित स्थितियॉ विद्यमान होने से गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का प्रर्याप्त आधार होना जाहिर किया।

6. गैर सायल के विद्वान वकील ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में श्री बुद्वाराम बिश्नोई थानाधिकारी बाड़मेर अपने बयानो में गैर सायल के विरूद्व वर्तमान में न्यायालय में कोई प्रकरण लमिब्त नहीं होने एवं न ही किसी व्यक्ति ने गैर सायल के विरूद्व कभी भी ऐसी रिपोर्ट पेश की जिससे माना जावे कि गैर सायल से आमजन एवं समाज में भय व्याप्त है। इस्तगासे में गैर सायल की समाज के संबंध में न्यायालय की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की। गैर सायल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसके विरूद्व वर्तमान में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। सायल द्वारा बिना समुचित जांच एवं अनुसंधान किये पेश किया गया इस्तगासा आधारहीन होने से काबिल निरस्त है।

7. हमने गैर सायल की ओर से पेश लिखित बहस का अवलोकन किया। सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपराधिक अभिलेख का भी भलीभांति अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि गैर सायल कमलेश आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो जुआ खेलने के कार्यो में संलिप्त है। जुआ जैसे घृणित कार्यो में संलिप्त रहने से व्यक्ति के परिवार एवं समाज को कभी भारी क्षति हो सकती है। गैर सायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर शहर में 03 प्रकरण धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के दर्ज होकर सजा होना पाया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 (1949 का राजस्थान अधिनियम संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्वदोष ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्व कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल के विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के तहत 03 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किये गये है। सायल द्वारा गैर सायल के विरूद्व दर्ज प्रकरणों की सूची में पारित निर्णय ईएक्सपी.4, ईएक्सपी. 7 एवं ईएक्सपी 11 अनुसार गैर सायल के विरूद्व 3 मुकदमों में सजा होना बताया है, ये सभी मुकदमें राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

अधिनियम की धारा 13 के है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बाड़मेर द्वारा निर्णय दिनांक 24.5.2011, निर्णय दिनांक 22.5.2012 एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर के निर्णय दिनांक 31.3.2016 से गैर सायल को आरोपित आरोप अन्तर्गत धरा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया गया है। उक्त आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि गैर सायल का आचरण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) के प्रावधानो के तहत गुण्डा व्यक्ति जैसा होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में गैर सायल कमलेश पुत्र मदनलाल को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत एक माह की अवधि के लिए बाड़मेर जिला से निष्कासित कर, उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैर सायल जिला पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा निर्धारित पुलिस थाना में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। वह इस अवधि में नेक चलन रहेगा और सदाचार एवं शान्ति बनाये रखेगा। गैर सायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ, हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा। गैर सायल कमलेश इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका रूपये 10000/– एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 एवं नियम 18 के तहत पेश कर, तस्दीक करायेगा। गैर सायल को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल बाड़मेर जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, अगर गैर सायल 15 रोज के भीतर इस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला पुलिस अधीक्षक जालोर को सुपुर्द कर, पालना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 25.7.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर